समाहरणालय, सहरसा

(जिला राजस्व शाखा)

—: आदेश :—

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 35/C/रा०, दिनांक 08.01.2015 के आलोक में **''ऑपरेशन भूमि दखल देहानी''** के अन्तर्गत सरकार द्वारा आवंटित जमीन से बेदखल कर दिये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने हेतु कार्रवाई करने के संबंध में निदेश प्राप्त है। इस क्रम में विभागीय पत्रांक 590, दिनांक 08.09.2014 के आलोक में जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी है उनकी सूची सम्पूर्ण विवरणी के साथ प्रपत्र–1 में तैयार कर जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराया गया है। अपितु उक्त पंचायत के उन पर्चाधारियों की भी जानकारी प्राप्त की जाएगी जिनका विवरण अभीतक प्रपत्र–I में दर्ज नहीं हो सका है। इसी प्रकार शिविर में बेदखली के अन्य मामलों की भी जानकारी प्राप्त की जानी है। जिन मामलों में बेदखली प्रकाश में आयी है उससे संबंधित सूची अंचलवार प्रपत्र–2 में संधारित कर जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराया गया है। सहरसा जिलान्तर्गत 1429 बेदखल पर्चाधारी में से 777 पर्चाधारी को दखल दिला दिया गया है एवं 453 पर्चाधारी से संबंधित भूमि का विभिन्न न्यायालय में वाद चल रहा है। शेष 199 बेदखल पर्चाधारी को दखल दिलाया जाना है।

सरकार द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के कार्यान्वयन के संबंध में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रपत्र–2 के अनुसार शेष बचे बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलवाने के लिए जिला स्तरीय राजस्व की समीक्षात्मक बैठक में हुए विचार–विमर्श के आलोक में सभी अंचलाधिकारियों को निम्नवत निदेश दिए जाते हैं।

विशेष शिविर का आयोजन :– जिला के सभी अंचलों में बेदखल हुए पर्चाधारियों को दखल दिलवाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किये जाने का निदेश प्राप्त है। इन शिविरों में अंचलाधिकारी स्वंय उपस्थित रहेंगे तथा उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी विशेष रूप से प्रतिनियुक्त रहेंगे। अंचलवार विशेष शिविर के आयोजन की तिथि एवं स्थान निम्न रूपेण निर्धारित की जाती है :–

क्र०	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	सम्बद्ध ग्राम/मौजा का नाम	विशेष शिविर की तिथि
1	2	3	4	5
1	नवहट्टा	बरियाही (हाटी)	हाटी	02.12.2015 09.12.2015
		डरहार	डरहार	16.12.2015
		बकुनियाँ	बकुनियाँ	23.12.2015
		रामपुर	रामपुर	30.12.2015
2	कहरा	सुलिन्दाबाद	सुलिन्दाबाद हाई स्कूल के बगल में	05.12.2015
3	सोनवर्षा	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	02.12.2015
		खजुराहा	खजुराहा	09.12.2015
		सरौनी मधेपुरा	सरौनी मधेपुरा	16.12.2015
		डुमरा (लगमा)	डुमरा	23.12.2015
		लगमा	लगमा	30.12.2015
		बराही (कोपा)	बराही	06.01.2016
4	सत्तर कटैया	बारा	बारा	02.12.2015
		भेलवा	भेलवा	09.12.2015
		बिहरा	बिहरा	16.12.2015
		पदमपुर (बिजलपुर)	पदमपुर	23.12.2015
		बारा	बारा	30.12.2015
5	सौरबजार	काँप पूर्वी/ काँप पश्चिमी	छतदार चबुतरा काँप बाजार	02.12.2015
		चन्दौर पूर्वी एवं चन्दौर पश्चिमी	पैक्स भवन चन्दौर	09.12.2015
		सहुरिया पश्चिमी एवं नादो	तहशील कचहरी मधुरा	16.12.2015

		सौरबाजार एवं अजगैवा	उच्च विद्या0 चबुतरा सौरबाजार	23.12.2015
		बैजनाथपुर एवं तीरी	पंचायत भवन बैजनाथपुर	30.12.2015
		गम्हरिया एवं खजुरी	पंचायत भवन गम्हरिया	05.01.2016
		सुहथ एवं कढ़ैया	जनता उच्च विद्यालय कचरा	12.01.2016
		सहुरिया पूर्वी एवं काँप पूर्वी	मध्य विद्यालय सहुरिया पूर्वी	19.01.2016
		काँप पश्चिमी एवं काँप पूर्वी	काँप बाजार छतदार चबुतरा	03.02.2016
		रौताखेम एवं रामपुर	चिकनी चबुतरा	10.02.2016
6	बनमा ईटहरी	ईटहरी	ईटहरी	02.12.2015
		देवकोल	देवकोल	09.12.2015
		सहुरिया	सहुरिया	16.12.2015
		हथमंडल	हथमंडल	23.12.2015
		रसलपुर	रसलपुर	30.12.2012

अतः सभी संबंधित अंचलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि स्थानीय थानाध्यक्ष से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु आवश्यक पुलिस बल प्राप्त करेंगे तथा बेदखल पर्चाधारियों को आवंटित भूमि का अंचल अमीन से सीमांकन करवाकर दखल दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही दखल दिलाये जाने के उपरांत संबंधित पर्चाधारी को अंचलाधिकारी दखल देहानी प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन मालगुजारी रसीद देना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/–
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 68-I/रा0, सहरसा, दिनांक 30/11/2015।

प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ एवं अनिवार्य रूप से अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष को अपेक्षित आवश्यक सहयोग हेतु निदेशित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0 आई0 सी0, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश को जिला/विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

समाहर्त्ता,
सहरसा।